न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 45/2020 (2020/00463) दर्ज दिनांक 03.09.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

संशोधित टाईटल

1. उदेराम आत्मज किशोर ब्राह्मण
2. माधु आत्मज किशोर ब्राह्मण सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाश आत्मज कालुराम जाट (आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0)
2. बदरी आत्मज मांगीलाल जाट

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण: श्री राजमल तिवारी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–23.10.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2023 रकबा 0.35 हे0, 2024 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 34 पर स्थित है। जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 पेश है।

यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात 2023, 2024 में संज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवा[illegible] ग्राम सोनियाणा से रामपुरिया जाने वाले आम रास्ते से होकर आगे विपक्षी[illegible] की [illegible]जी संख्या 2022 रकबा 0.25 हे0 की ~~पूर्वी~~ पाली पर होकर आरा[illegible] जिससे प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णितानुसार रास्ते का उपयो[illegible] कृषि आराजियात [illegible] बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करते हुए प्र[illegible]गण अपनी आराजियात [illegible] करते चले आ रहे है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थी की आराजी मे आवागमन के लिए सबसे नजदीकी व सुगम रास्ता विपक्षीगण की आराजियात में ही है, अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जिससे विपक्षीगण की आराजियात में से 13 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है रास्ता सबसे कम दूरी का व सबसे सुविधाजनक रास्ता है जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में से रास्ते की मांग कर रहा हैं व उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज हो जायेगा जिससे दिगर खातेदारों को भी सुविधा हो जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सोनियाण पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2023, 2024 में संज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता ग्राम सोनियाणा से रामपुरिया जाने वाले आम रास्ते से होकर आगे विपक्षीगण की आराजी संख्या 2022 रकबा 0.25 हे0 की पूर्वी पाली पर होकर 13 फीट चौड़ाई में स्थित है को नियमानुसार राशि जमा करवा राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम फरमाया जावें।

प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/20/568 दिनांक 11.09.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :–</u>

–यह कि मौके पर प्रार्थीगण ग्राम सोनियाण के आराजी नं0 2023 रकबा 0.35 हे0 तथा आराजी नं0 2024 रकबा 0.35 हे0 भूमि प्रार्थीगणों के नाम दर्ज रेकार्ड है। तथा आराजी नं0 2022 रकबा 0.25 हे0 किस्म बीड भूमि प्रकाश पिता कालू , बद्री पिता मांगीलाल जाट निवासी सोनियाणा के नाम दर्ज रेकार्ड है।

– यह कि उक्त आराजी नं0 2022 रकबा 0.25 हे0 भूमि में आवागमन का कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।

– यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

– यह कि वर्तमान में उक्त आराजी नं0 2023 व 2024 में पंहुच मार्ग नहीं होने से आवागमन नहीं हो रहा है उक्त आराजी नं0 2023, 2024 पड़त पड़ी हुई है।

– यह कि उक्तानुसार रास्ते हेतु आराजी नं0 2022 रकबा 0.25 हे0 में से 0.03 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होती है। ग्राम सोनियाणा की असिंचित पा[illegible] एल0सी0 दर 2,90,448/– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अ[illegible] 0.03 हे0 की मालियत 8714/– रूपये होती है तथा इसकी दुगुनी राशि 17428/– [illegible] होती है।

–यह कि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल र[illegible] से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 45/2020 (2020/00463)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम सोनियाण पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2023, 2024 में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता ग्राम सोनियाणा से रामपुरिया जाने वाले आम रास्ते से होकर आगे विपक्षीगण की आराजी संख्या 2022 में स्थित है इसके अलावा आवागमन करने के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भुमि आराजी नं0 2023, 2024 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 2022 रकबा 0.25 हे0 में से 0.03 हे0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सोनियाण पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2023, 2024 में संज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता ग्राम सोनियाणा से रामपुरिया जाने वाले आम रास्ते से होकर आगे विपक्षीगण की आराजी संख्या 2022 रकबा 0.25 हे0 की पूर्वी पाली पर होकर 13 फीट चौड़ाई में स्थित भूमि में से 0.03 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 2,90,448/— है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 8714/—होती है। इसकी दुगुनी राशि 17428/—प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी नं0 2022 रकबा 0.25 हे0 भूमि में से 0.03 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 17428/— प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा की आराजी संख्या 2023, 2024 में आने जाने के लिए 13 फीट चौड़ा रास्ता यानी विपक्षीगण की आराजी संख्या 2022 में से 0.03 हे0 भूमि मौके पर्चे में वर्णितानुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावे। पत्रावली बाद तकमील रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:12:45 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner